Rural Studies (RM&D)
Patna University
Semester-3rd

Rural Entrepreneurship

Course/ Paper Code:-CC-14 Unit-1

भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख कार्यक्रम

(E-content)

Dr. Shashi Gupta
Assistant Professor (Guest Faculty)
P.G. Department of Rural Studies (RM&D)
Patna University
Mobile No.:9472240600
Email: drsgupta01@gmail.com

भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख कार्यक्रम

उद्यमिता के तहत हम लघु, मध्यम, मझोले और बड़ी उद्यमों को रखते हैं और उद्यमी वैसे व्यक्ति को कहते हैं, जो जोखिम उठाता है और संसाधनों की व्यवस्था, उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए करता है। वही वह उद्यम, जिसके जरिए व्यक्ति के कौशल को विकसित करने एवं सेवा या विनिर्माण के माध्यम से आय अर्जित करने की कोशिश की जाती है, को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता विकास एक व्यापक कार्यक्रम है जो उद्यमियों के विकास पर बल देता है, ताकि उद्योगों का विकास हो सके। यह उद्यमी को रोजगार उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम है। यह खुद के मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं का समाधान भी करता है। उद्यमिता को विकसित करके युवा खुद के मार्ग में आनेवाली बाधाओं और समस्याओं का समाधान भी करता है। उद्यमिता को विकसित करके युवा आत्मनिर्भर बन ही सकते हैं। साथ ही, अपने साथियों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। हालांकि, यह तभी मुमकिन हो सकता है, जब युवा कौशल विकसित करने की तरफ ध्यान देंगे।

भारत में बेरोजगारी आज भी एक बड़ी समस्या है। देश में काम करने योग्य जितनी जनसंख्या है, उस अनुपात में रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, काम करने योग्य जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन इजाफा ही हो रहा है। भारत में अभी भी सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र स्वरोजगार का ही है। इस कारण वर्तमान परिस्थिति में जीवन यापन के लिए स्वरोजगार बेहतर विकल्प है। हालांकि स्वरोजगार करना तभी फलदाई होता है जब युवा किसी तकनीकी क्षेत्र की जानकारी रखते हो इसके लिए खुद को कौशलयूक्त बनाना जरूरी होता है। सरकार युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। युवा ऐसी योजनाओं का हिस्सा बनकर खुद को कौशल से युक्त बना सकते हैं जो उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है।

देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रम और योजनाओं के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक पहल होती रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्य या मध्यमवर्गीय परिवारों में उद्यमिता के प्रति सकारात्मक सोच, अनुमानित जोखिम उठाकर या व्यवसाय की शुरुआत करने व प्रथम पीढ़ी उद्यमियों की श्रृंखला तैयार करना है। उद्यमशीलता विकास की व्यापक संभावनाओं हेतु नीतिगत सुधार एवं वर्तमान योजनाएं के माध्यम से समझा जा सकता है। इनमें से प्रमुख कार्यक्रमको का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय: 31 जुलाई, 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना हुई और बाद में 10 नवंबर, 2014 को यह मंत्रालय बना। यह मंत्रालय देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय, कुशल मानवशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच

में दूरी को समाप्त करने, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संरचना तैयार करने, कौशल उन्नयन, नए कौशल व नवोन्मेषी सोच का विकास करने के लिए उत्तरदाई है। इसे यह राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीसी) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) जैसे कार्यशील सहयोगियों की सहायता प्राप्त होती है।

2. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति, 2015: इसका उद्देश्य देश के भीतर चलाई जा रही सभी कौशल गतिविधियों को एक समन्वय प्रदान करना, प्रचलित मानकों के अनुसार तैयार करना और मांग केंद्रों के साथ कौशल को जोड़ना है। यह नीति रोजगार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कौशल विकास को जोड़ती है।

3. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: इसे विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई, 2015 को प्रारंभ किया गया। मिशन का विकास "स्किल्ड इंडिया" के लक्ष्य को हासिल करने में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संबंध में विभिन्न सेक्टरों और राज्यों के बीच अभिसरण उत्पन्न करने के लिए किया गया है। 2015-16 में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देकर बेहतर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद योजना के तहत बृहद रूप से दूसरी बार 2016-20 के मध्य एक करोड़ युवाओं को निशुल्क 2 से 6 महीने तक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है।

4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को समर्पित यह योजना सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमो जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियान से संबंधित है। ग्रामीण को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर श्रमशक्ति बाजार के अनुरूप तैयार करने की प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास की यह सशक्तिकरण योजना है।

5. उद्यमिता विकास योजना: वर्तमान में इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस योजना को विभिन्न अवयवों के साथ तैयार किया जा रहा है जैसा कि उद्यमशीलता शिक्षा पाठ्यक्रम, वेब एवं मोबाइल आधारित नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, उद्यमशीलता हब (e-hubs) नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय संपर्क, राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, तथा समाजिक उद्यमशीलता आदि।

6. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की एक अग्रणी परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। इस कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके माध्यम से उत्साहित करना और इसके माध्यम से रोजगारपरक बनाकर अपनी आजीविका अर्जन करने में समर्थ बनाना और उन्हें

प्रोत्साहित करना है। मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि और देश की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणन का कार्य करना है।

7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इस स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू किया जाता है जो कि इसकी नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर इस स्कीम को राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग निदेशालयों, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी अनुदान लाभान्वितों या उद्यमियों तक उनके बैंक खेतों में संभावित वितरण के लिए चिन्हित बैंकों के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पहुंचाई जाती है।

8. आत्मनिर्भर भारत अभियान: आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी प्राथमिकता देश की कृषि और किसानों को स्वावलंबी बनाना है। सरकार इस दिशा में कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ इस काम के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री ने 20 हजार करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में किसानों और दिहाड़ी एवं प्रवासी मजदूरों का खासा ख्याल रखा गया है। किसानों को इस साल ₹30 हजार अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम नाबार्ड की तरफ से उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त होगी। कोविड -19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ कृषि लोन पर 3 महीने की मोराटोरियम की सुविधा दी है। इस अवधि में किसानों को अपनी कृषि कर्ज का भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को उनके राज्य में ही काम उपल्ब्ध कराया जा रहा है।

9. मेक इन इंडिया: इस योजना को 25 सितंबर, 2014 को प्रारम्भ किया गया था ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों को भी अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल के पीछे मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना और कौशल संवर्धन करना था। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानक बनाए रखना और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करना भी है। इस पहल के अंतर्गत भारत में पूंजीगत एवं प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है।

10. स्टैंडअप इंडिया: यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं के नए या ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक महिला उधाकर्ता को प्रति बैंक शाखा 10 लाख से लेकर 1 करोड रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है जो विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है।

11. स्टार्टअप इंडिया: इसका प्रयोजन भारतीय युवाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा दिया जाता है और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई है यह पहल मजबूत स्टार्टअप इको सिस्टम व संस्कृति को बढ़ावा देने,

उद्यमियों को सहायता प्रदान करें करने के साथ-साथ देश में नौकरी की मांग करने वालों के बजाय नौकरी देने वालों को विकसित करना है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप हेतु आसान अनुपालन, अन्य कानूनी सहायता, अनुदान व प्रोत्साहन इत्यादि शामील हैं। प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक 1.25 लाख बैंक शाखाओं द्वारा कम से कम एक दलित अथवा आदिवासी उद्यमी को और न्यूनतम एक महिला उद्यमी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस पहल से उद्यमशीलता को एक नया आयाम दिया जाएगा और साथ ही देश में स्टार्टअप का एक नेटवर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।

12. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई है यह योजना गैर कारपोरेट, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को शिशु- 50 हजार तक ऋण, किशोर- 5 लाख तक ऋण और तरुण- 10 लाख तक का ऋण प्रदान कर नए उद्यम विकसित करने की दिशा में प्रयास है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एम एफ आई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

13. उद्यम पूंजी सहायता स्कीम: उद्यम पूंजी सहायता स्कीम कृषि व्यवसाय विकास के लिए एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है जिसे लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) द्वारा लागू किया गया है। इस स्कीम को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कृषि उत्पाद एवं उत्पादों के प्राइमरी एवं उच्च स्तरीय मूल्य संवर्धन हेतु कृषि व्यवसाय इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के तहत निजी उद्यमियों, किसानों, कंपनीयों, फर्मों, किसान उत्पादक कंपनियों, संगठनों, स्वयं सहायता समूहों अथवा कृषि निर्यात जोन में स्थित किसी भी इकाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है।

14. उद्यमिता विकास संस्थान: नए उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित करने, प्रशिक्षण संस्थान स्कीम में सहायता के तहत उद्यमिता विकास संस्थानों के लिए बुनियादी सुविधा को मजबूती प्रदान करने हेतु स्कीम है। एमएसएमई द्वारा नियमित आधार पर उद्यमिता एवं कौशल विकास के कार्यों को करने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमशीलता विकास संस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद, उद्यामिता एवं लघु व्यवसाय विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश एवं भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षण संस्थान संस्थानों को उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने अथवा उसको सुदृढ करने एवं कार्यक्रम सहयोग के लिए पूंजीगत अनुदान (capital grant) के रूप में सहायता उपलब्ध करना है।

15. अटल इन्नोवेशन मिशन इनक्यूबेशन सेंटर: तकनीकी व नवाचार आधारित नवीन उद्यमों या स्टार्टअप को विकसित करने में सहायता प्रदान करना जिसके अंतर्गत व्यवसायिक नियोजन, बाजार में प्रवेश व वित्तीय मामलों से संबंधित सलाह इत्यादि शामिल है।

16. संकल्प: विश्व बैंक की सहायता से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को मजबूत बनाने, समाज के वंचित वर्ग को कौशल, शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में आवश्यक कुशल मानव संसाधनों को विकसित कर मेक इन इंडिया पहल में सहायता प्रदान करना है।